रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082023-247902
CG-DL-E-07082023-247902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3364] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2023/श्रावण 16, 1945
No. 3364] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2023/SHRAVANA 16, 1945

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2023

का.आ. 3515(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्यांक का.आ. सं. 1257 (अ), तारीख 31 मई, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना जारी करती है;

और केन्द्रीय सरकार का यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में उपबंध है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना जनहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस अधिसूचना संख्या का.आ. 1257(अ) तारीख 31 मई, 2012 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना जनहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1257(अ) तारीख 31 मई, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(i) पैरा 2 में,

(क) उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा: अर्थात्:-

"(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, इस संशोधित अधिसूचना के प्रकाशन से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी'.

(ख) उप-पैरा (7) में, "और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसका अनुमोदन होने" शब्द को हटा दिया जाएगा;

(ii) पैरा 4 में, उप-पैरा (2) में, -

(क) खंड (ख) में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार में राजस्व विभाग" शब्द रखे जाएगे;

(ख) खंड (ग) में, "भारत सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार समय-समय पर, प्रत्येक तीन वर्ष से अधिक के कार्यकाल के लिए" शब्द रखे जाएगे;

(ग) खंड (छ) में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार समय-समय पर, प्रत्येक तीन वर्ष से अधिक के कार्यकाल के लिए" शब्द रखे जाएगे ।

[फा. सं. 25/4/2012-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1257(अ), तारीख 31 मई, 2012 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2023

S.O. 3515(E).— Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 1257 (E), dated the 31st May, 2012;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

IndiaCode

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1257 (E), dated the 31st May, 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1257 (E), dated the 31st May, 2012, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 2,-

(a) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government shall, prepare a Zonal Master Plan, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, in consultation with local people and in accordance with this notification, within a period of two years from the date of publication of this amendment notification.";

(b) in sub-paragraph (7), the words, "and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests", shall be deleted;

(ii) in paragraph 4, in sub-paragraph (2),-

(a) in clause (b), for the words "Ministry of Environment and Forests, Government of India", the words "Revenue Department in the State Government", shall be substituted;

(b) in clause (c), for the words "Government of India", the words, "State Government from time to time, for a tenure not exceeding three years each", shall be substituted;

(c) in clause (g), for the words "Ministry of Environment and Forests, Government of India", the words, "State Government from time to time, for a tenure not exceeding three years each", shall be substituted.

[F. No. 25/4/2012-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1257 (E), dated the 31st May, 2012.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.07 21:06:07 +05'30'